प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 07 मई, 2025

विषयः एपेक्स वेलकेयर ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित एपेक्स ट्रस्ट नर्सिंग कालेज, एन0एच0-7 वाराणसी- मिर्जापुर हाईवे, समसापुर, चुनार, मिर्जापुर को डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एवं मिडवाईफरी प्रशिक्षण कोर्स प्रारम्भ करने हेतु अनिवार्यता/अनापत्ति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3649/25 दिनांक 22.04.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त एपेक्स वेलकेयर ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित एपेक्स ट्रस्ट नर्सिंग कालेज, एन0एच0-7 वाराणसी- मिर्जापुर हाईवे, समसापुर, चुनार, मिर्जापुर में डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एवं मिडवाईफरी में 40 सीट प्रतिवर्ष प्रवेश क्षमता का पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अनिवार्यता प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रदान की जाती है:-

1) संस्था द्वारा प्रशिक्षण हेतु सभी मानक/औपचारिकताएं पूर्ण कर इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली से निरीक्षण कराकर अनुमति/मान्यता प्राप्त कर पाठ्यक्रम में प्रवेश व संचालन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
2) इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली द्वारा निरीक्षणोपरान्त संस्था को जितनी सीट अनुमन्य की जायेंगी उतनी ही सीटों पर संस्था द्वारा प्रवेश लिया जायेगा।
3) संस्था द्वारा राज्य सरकार/उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी/ इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली/अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ तथा नियामक संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये समस्त निर्देशों, मानकों एंव चयन प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4) उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा एक नीति बनाकर मानकों के अनुपालन हेतु संस्था का निरीक्षण कराया जायेगा। संस्था द्वारा राज्य सरकार/इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली/उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी/अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ तथा नियामक संस्थाओं के किसी भी दिशा-निर्देशों/मानकों का उल्लंघन करने पर संस्था की अनापत्ति/मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

2- शासन द्वारा उपर्युक्तानुसार अनिवार्यता/अनापत्ति यह अवधारित करते हुए निर्गत की जा रही है कि इस हेतु प्रश्नगत संस्था के संबंध में जो तथ्य एवं आंकडे सचिव, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं, वह सही हैं तथापि इस संबंध में अग्रेतर कार्यवाही से पूर्व सचिव, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ द्वारा स्वस्तर से भी इनकी पुष्टि कर ली जायेगी। इस संबंध में किसी भी विसंगति का संपूर्ण उत्तरदायित्व सचिव, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ का होगा।

3- कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by
Chandra Shekhar Mishra (चन्द्र शेखर मिश्र)
Date: 07-05-2025 14:43:02
उप सचिव।

<u>संख्या एवं तद्दिनांक-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. कुलसचिव, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रबन्धक, एपेक्स वेलकेयर ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित एपेक्स ट्रस्ट नर्सिंग कालेज, एन0एच0-7 वाराणसी- मिर्जापुर हाईवे, समसापुर, चुनार, मिर्जापुर।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(चन्द्र शेखर मिश्र)
उप सचिव।